





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE

केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING आई. एस. प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/III/(20)/108/2020-ACCTS

एडवांस कॉल / ADVANCE CALL

विषय :- <u>स्रोत पर कर की कटौती - वित्त वर्ष 2024 - 25 के लिए आयकर विवरण - एडवांस कॉल</u> - संबंधित ।

Sub: - Deduction of tax at source - Income Tax statement for the F.Y. 2024 - 25 - Advance call for - Reg.

वित्त वर्ष 2024 - 25 के लिए वार्षिक आयकर विवरण कृपया पीएफएमएस (ईआईएस) पोर्टल पर व्यक्तिगत लॉगिन के साथ उपलब्ध निर्धारित प्रोफार्मा में दो प्रतियों में, विवरणों के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय में दिनांक 30.11.2024 को या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। सहायक दस्तावेजों के साथ विवरण की प्रति मेल आईडी: paybill112017@gmail.com पर भी ई-मेल की जा सकती है।

The annual income tax statement for the financial year 2024-25 may please be furnished **in duplicate**, in the prescribed proforma available in PFMS (EIS) portal with individual login, along with relevant documents in support of the statements so as to reach this office on or before 30.11.2024. Copy of the statement along with supporting documents may also be e-mailed to the mail ID:paybill112017@gmail.com.

आयकर विवरण तैयार करने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए, अधिकारी कृपया आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 - बीएसी के तहत आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ लें, कुछ खंडों के तहत किसी भी छूट या कटौती का लाभ न उठाकर आय पर कर की गणना करने का विकल्प प्रदान किया गया है।

The following guidelines are given for preparation of the Income Tax statement. For further details, officers may please refer to the relevant provisions of Income Tax Act under Section 115 – BAC of the Income Tax Act 1961, an option has been provided to compute tax on income by not availing any exemption or deduction under certain clauses.

<u>वेतन</u>

वेतन में शामिल हैं

- 1. एफआर 9(21) में परिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन और वेतन का अग्रिम।
- 2. बोनस
- 3. महंगाई भता
- 4. प्रतिपूरक भता
- 5. मकान किराया भत्ता [धारा 10(13ए) के तहत छूट के प्रावधान के साथ]
- 6. किराया-मुक्त क्वार्टर का मूल्य
- 7. कर्मचारी द्वारा रखी जाने वाली फीस [आवर्ती या गैर-आवर्ती]
- 8. मानदेय
- 9. ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति
- 10. पेंशन (लेकिन पारिवारिक पेंशन वेतन के अंतर्गत शामिल नहीं है)
- 11. निर्वाह भता
- 12. अंतरिम राहत, यदि कोई हो
- 13. ओवरटाइम भत्ता
- 14. एलटीसी पर छुट्टी नकदीकरण
- 15. नई पेंशन योजना में सरकार या किसी अन्य नियोक्ता का योगदान।
- 16. भविष्य निधि में अंशदान पर अर्जित ब्याज, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित भविष्य निधि में अंशदान पर अर्जित ब्याज के रूप में कोई भी आय, जो वित्त वर्ष में 5,00,000/- रुपये (पांच लाख रुपये) से अधिक हो, कर योग्य होगी, बशर्ते कि नियोक्ता द्वारा कोई अंशदान नहीं किया गया हो।
 Salary

Salary includes

- 1. Pay as defined in FR 9(21), leave salary and Advance of Pay.
- 2. Bonus
- Dearness Allowance
- 4. Compensatory Allowance
- House Rent Allowance [with provision for exemption under Section 10(13A)]
- 6. Value of rent-free quarters

- 7. Fees [recurring or non-recurring] retainable by the employee
- 8. Honorarium
- 9. Reimbursement of Tuition Fee
- 10. Pension (but Family Pension not included under Salary)
- 11. Subsistence Allowance
- 12. Interim Relief, if any
- 13. Overtime Allowance
- 14. Leave Encashment on LTC
- 15. Government's or any other employer's contribution to the New Pension Scheme.
- Interest Earned on Contribution to P.F., Any income by way of interest earned on contribution to Provident Fund Set up by the Central Government in excess of Rs.5,00,000/- (Rupees Five Lakhs) in Financial Year will be taxable, satisfying to the condition that no contribution is made by the employer.

वेतन में शामिल नहीं है

- 1. बच्चों की शिक्षा भत्ता जो अधिकतम दो बच्चों तक प्रति बच्चा 100 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होगा।
- 2. पोशाक भता।
- 3. छुट्टी यात्रा रियायत का मूल्य।

Salary does not include

- 1. Children Education Allowance not exceeding Rs.100 per month per child up to a maximum of two children.
- 2. Dress Allowance.
- 3. Value of Leave Travel Concession.

मकान किराया भत्ता [धारा 80GG]

यदि कर्मचारी किराए के मकान में रह रहा है, तो निम्न में से कम से कम छूट की अनुमति है:

- 1. प्राप्त HRA की वास्तविक राशि, या
- 2. वेतन के 10% से अधिक भुगतान किया गया किराया, या
- 3. यदि निवास मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली या चेन्नई में है, तो वेतन का 50%, यदि निवास किसी अन्य स्थान पर स्थित है, तो वेतन का 40%। यदि कोई कर्मचारी अपने घर में रहता है, या ऐसे घर में रहता है, जहाँ वह कोई किराया नहीं देता है/वेतन के 10% से अधिक किराया नहीं देता है, तो कोई छूट उपलब्ध नहीं है और उसके द्वारा प्राप्त HRA की पूरी राशि कर योग्य है।
- 4. यदि मकान किराया भत्ता 100000/- रुपये से अधिक है, तो मालिक का पैन नंबर भी प्रदान किया जा सकता है। HRA छूट का दावा करने पर फॉर्म 10B भी जमा किया जा सकता है।

HOUSE RENT ALLOWANCE [SECTION 80GG]

If the employee is living in a rented house, exemption is allowed to the extent of the least of the following:

1. The actual amount of HRA received, or

- 2. Rent paid in excess of 10% of the salary, or
- 3. 50% of the salary if the residence is at Mumbai, Calcutta, Delhi or Chennai, 40% of salary if the residence is situated at any other place. If an employee lives in his own house, or in a house where he does not pay any rent/pays rent not exceeding 10% of salary, no exemption available and the entire amount of HRA drawn by him is taxable.
- 4. If House Rent Allowance exceeds Rs.100000/-, PAN number of the owner may also be provided. Form 10B may also be submitted, if claiming HRA Exemption.

गृह संपति से आय

यदि किसी कर्मचारी की किसी अन्य शीर्ष जैसे गृह संपत्ति, लाभांश, ब्याज आदि से आय होती है, तो वह ऐसी आय और उसके स्रोत के तहत काटे गए कर का विवरण अपने नियोक्ता को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत कर सकता है और नियोक्ता ऐसी आय को भी ध्यान में रखते हुए कुल कर देयता की गणना कर सकता है और वेतन से उचित कर की कटौती कर सकता है।

'गृह संपित से आय' शीर्ष के तहत 'नुकसान'- किराए पर दी गई संपित के मामले में, यिद शुद्ध आय नुकसान होती है, तो इसे अन्य शीर्षों के तहत आय के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है। स्व-कब्जे वाली संपित के मामले में, उधार ली गई पूंजी पर ब्याज को किसी अन्य शीर्ष के तहत आय के खिलाफ समायोजित किया जा सकता है, जो धारा 24 के अंतर्गत अधिकतम 30,000/- रुपये या 2 लाख रुपये तक हो सकता है।

ऐसे मामले में जहां संपत्ति दिनांक 01.04.1999 को या उसके बाद उधार ली गई पूंजी के माध्यम से अर्जित या निर्मित की गई हो तथा अधिग्रहण/निर्माण उस वित्त वर्ष की समाप्ति से 3 वर्षों के भीतर पूरा हो गया हो जिसमें पूंजी उधार ली गई थी, ऐसी उधार ली गई पूंजी पर ब्याज अधिकतम 2 लाख रुपये तक कटौती योग्य है।

Income from house property

If an employee has income under any other head, viz., income from house property, dividend, interests, etc., he can furnish the particulars of such income and tax deducted under source thereon to his employer in the prescribed form and the employer can compute the total tax liability taking into account such income also and deduct appropriate tax from salary.

'Loss' under the head, 'Income from house property'- In the case of let-out property, if the net income happens to be a loss, it can be set off against the income under other heads. In the case of self-

occupied property, interest on borrowed capital can be set off against income under any other head, subject to a maximum of Rs.30,000/- or Rs.2 Lakhs, as the case may be, under Section 24.

In case where the property was acquired or constructed through capital borrowed on or after 01.04.1999 and acquisition/construction completed within 3 years from the end of the financial year in which capital was borrowed, interest on such borrowed capital is deductible up to a maximum of Rupees 2 lakhs.

कटौतियाँ

वेतन से अनुमेय सीमा तक निम्नलिखित कटौतियाँ अनुमत हैं: -

- 1. पुरानी व्यवस्था में धारा 16(ia) में मानक कटौती के रूप में 50,000/- रुपये या वेतन की राशि, जो भी कम हो, की कटौती की अनुमित है। नई कर व्यवस्था में 75000 / -रु तक या वेतन की राशि, जो भी कम हो, की कटौती की अनुमित है।
- 2. व्यावसायिक कर: -

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान वास्तव में भ्गतान की गई राशि। [धारा 16(i)]

3. मनोरंजन भत्ता: -

सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त मनोरंजन भता उसके वेतन का पाँचवाँ हिस्सा या 5,000/- रुपये, जो भी कम हो।

[धारा 16(ii)]

4. धारा 80सी के अंतर्गत

- (i) जीवन बीमा प्रीमियम भुगतान, बीमित राशि के 10% तक सीमित।
- (ii) आस्थगित वार्षिकी के लिए अनुबंध को प्रभावी बनाना या लागू रखना
- (iii) भविष्य निधि में अंशदान (अग्रिम/ऋण की चुकौती शामिल नहीं है)

कृपया ध्यान दें कि, दिनांक 11/10/2022 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार एक वितीय वर्ष के लिए जीपीएफ अंशदान सीमा (वर्तमान में 5,00,000/- रुपये) से अधिक नहीं होना चाहिए

- (iv) स्वीकृत सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान।
- (v) केंद्र सरकार की ऐसी किसी भी प्रतिभूति/जमा योजना में अभिदान;
- (vi) सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी ऐसे बचत प्रमाणपत्र में अंशदान;
- (vii) यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में अंशदान;
- (viii) किसी म्यूच्अल फंड की इकाइयों में अभिदान;
- (ix) किसी म्यूच्अल फंड द्वारा स्थापित किसी पेंशन फंड में अंशदान;
- (x) राष्ट्रीय आवास बैंक की किसी ऐसी जमा योजना में सदस्यता जिसे केंद्र सरकार

द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

- (xi) भारत में गठित किसी प्राधिकरण की किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की किसी ऐसी जमा योजना में अभिदान जो आवासीय प्रयोजनों के लिए मकानों के निर्माण/खरीद के लिए दीर्घावधि वित्तपोषण में लगी हुई है या भारत में शहरों की योजना, विकास, सुधार आदि के प्रयोजन के लिए गठित किसी प्राधिकरण की जमा योजना में अभिदान।
- (xii) दो बच्चों तक सीमित ट्यूशन फीस का भ्गतान।
- (xiii) सरकार/बैंक/एलआईसी/सहकारी बैंक/आवास बोर्ड/विकास प्राधिकरण आदि से आवासीय संपत्ति के निर्माण/खरीद के लिए उधार ली गई राशि की कोई किस्त या आंशिक भ्गतान।
- (xiv) किसी भी "पूंजी के पात्र निर्गम" का हिस्सा बनने वाले इक्विटी शेयरों/डिबेंचर में अभिदान।
- (xv) भारतीय स्टेट बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या अनुसूचित बैंक या डाकघर की पांच वर्षीय सावधि जमा योजना में न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा।

DEDUCTIONS

The following deductions are allowed to the extent permissible from the salary: -

- A Deduction of Rs.50000/- or the amount of salary, whichever is less is allowed as standard deduction in Section 16(ia) in Old Regime. A deduction of up to 75000/- or the amount of salary, whichever is less is allowed in the New Tax Regime.
- 2. Professional Tax: -

Amount actually paid during the Financial Year 2023-24. [Section 16(i)]

3. Entertainment Allowance: -

Entertainment Allowance received by the Government servant up to one-fifth of his salary or Rs.5,000/-, whichever is less.

[Section 16(ii)]

- 4. Under Sec. 80C
- (i) Life Insurance Premia payment, limited to 10% of the sum assured.
- (ii) Effect or keep in force a contract for deferred annuity
- (iii) Contribution to Provident Fund (does not include repayment of advances/loans)Kindly note that, as per OM dated 11/10/2022 GPF subscriptions for

- a financial year should not exceed the threshold limit (at present Rs.5,00,000/-)
- (iv) Contribution to approved superannuation fund.
- (v) Subscription to any such security / deposit scheme of the Central Government;
- (vi) Subscription to any such savings Certificate as the Government may specify;
- (vii) Contribution to Unit Linked Insurance Plan;
- (viii) Subscription to units of any Mutual Fund;
- (ix) Contribution to any Pension Fund set up by any Mutual Fund;
- (x) Subscription to any such Deposit scheme of National Housing Bank as may be notified by Central Government.
- (xi) Subscription to any such Deposit scheme of a public sector company of any authority constituted in India which is engaged in long term financing for construction/purchase of houses for Residential purposes or any authority constituted in India for purpose of planning, development, improvement of cities etc.
- (xii) Tuition fees paid limited to two children.
- (xiii) Any installment or part-payment of the amount borrowed for construction/purchase of residential property from Govt./Bank/LIC/Co-operative Bank/Housing Board/Development Authority etc.
- (xiv) Subscription to equity shares/debentures forming part of any "eligible issue of capital".
- (xv) Fixed Deposit for a minimum period of 5 years in the State Bank of India or Public Sector Bank or Scheduled Bank or Post Office Five Year Time Deposit Scheme.
- 5. एलआईसी के नए पेंशन फंड में अंशदान (धारा 80सीसीसी):-

धारा के फंड से पेंशन प्राप्त करने के लिए एलआईसी या किसी अन्य बीमाकर्ता की किसी वार्षिकी योजना को लागू रखने हेतु अधिकतम एक लाख पचास हजार रुपये तक का भुगतान की कटौती कर योग्य आय से की जानी चाहिए।

Contribution to the new Pension Fund of LIC (Sec. 80 CCC): -

Payment Subject to a maximum of one hundred and fifty thousand rupees to keep in force any annuity plan of the LIC or any other insurer for receiving Pension from the Fund of Section should be deducted from the taxable income.

6. नई पेंशन योजना में अंशदान, वेतन के 20% तक सीमित। (धारा 80सीसीडी (1))

- (i) नई पेंशन योजना में सकल कुल आय के बीस प्रतिशत तक अंशदान। [करदाता की मृत्यु पर नामिती द्वारा प्राप्त राशि उपधारा (3)(ए) के तहत नामिती की आय नहीं मानी जाएगी।]
- (ii) उपर्युक्त (i) के अलावा कटौती के रूप में पचास हजार रुपये से अधिक की कटौती की अनुमति नहीं है। [धारा 80सीसीडी (1) और (आई-बी)

धारा 80-सी, 80सीसीसी और 80सीसीडी की उपधारा (1) के तहत कटौतियों की कुल राशि एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। (धारा 80सीसीई)

Contribution to the New Pension Scheme, limited to 20% of Salary. (Sec. 80CCD (1))

- (i) Contribution to the New Pension Scheme up to twenty percent of gross total income. [The amount received by a nominee on the death of the assesses shall not be deemed to be the income of the nominee under sub-section (3)(a).]
- (ii) A deduction not exceeding fifty thousand rupees is allowed as deduction apart from (i) above. [section 80-CCD (1) and (I-B)

The aggregate amount of deductions under Section 80-C, 80-CCC and sub-section (1) of 80-CCD should not exceed one lakh fifty thousand rupees. (Sec. 80-CCE)

7. इक्विटी बचत योजना (एसईसी 80सीसीजी) के तहत किया गया निवेश Investment made under an equity savings scheme (Sec 80CCG)

8. चिकित्सा बीमा/सीजीएचएस/निवारक स्वास्थ्य जांच (धारा 80डी)

चिकित्सा बीमा के लिए नकद के अलावा किसी अन्य भुगतान माध्यम से भुगतान किया गया कोई भी प्रीमियम अधिकतम 25000/- रुपये तक होगा। यह भारतीय साधारण बीमा निगम या किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा प्रायोजित किसी भी योजना के तहत बीमा पर लागू है। इसके अलावा, यदि माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं तो माता-पिता के लिए 50,000/- रुपये तक का कोई भी प्रीमियम भुगतान किया जा सकता है। निवारक स्वास्थ्य जांच के लिए नकद सहित किसी भी माध्यम से स्वयं/परिवार/माता-पिता के लिए 5000/- रुपये तक का भुगतान भी अधिकतम

50,000/- रुपये के भीतर किया जा सकता है।

स्वास्थ्य बीमा कवर के बिना विरष्ठ-नागरिक के चिकित्सा व्यय के लिए 50,000/- रुपये का भुगतान। केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अन्य योजना में किए गए किसी भी योगदान की कुल कटौती 50,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए (धारा 80डी)

Medical Insurance/CGHS/Preventive Health Check-Up (Sec. 80D)

Any premium paid BY ANY MODE OF PAYMENT OTHER THAN CASH for medical insurance subject to a maximum of Rs.25000/-. This is applicable to insurance under any scheme sponsored by the General Insurance Corporation of India or any other insurer. In addition, any premium paid for parents up to Rs.50,000/- if parents are senior citizens. Any amount paid for self/family/parents in any mode including cash, for preventive health check-up, up to Rs.5000/- is also allowed within the maximum of Rs.50,000/-.

Payment for medical expenditure of a senior-citizen without health insurance cover Rs.50,000/-. Any contribution made to the central Government Health Scheme or such other scheme as may be notified by the central government, the aggregate of the deduction should not be more than Rs.50,000/-(Sec.80 D.)

9. विकलांग आश्रित (धारा 80 डीडी): -

ऐसे करदाताओं के लिए 75,000 रुपये की राशि, जो विकलांग व्यक्ति के आश्रित के चिकित्सा उपचार (नर्सिंग सहित)/प्रशिक्षण और पुनर्वास पर व्यय करते हैं, तथा गंभीर विकलांगता के मामले में 1,25,000 रुपये की राशि।

Handicapped dependent (Sec. 80 DD): -

An amount of Rs.75,000 for assesses who incur expenditure in medical treatment (including nursing)/training and rehabilitation of a dependent being a person with disability and Rs.1,25,000 in the case of severe disability.

10. चिकित्सा उपचार (धारा 80 डीडीबी): -

कैंसर या एड्स से पीड़ित रोगी या आश्रित को उपचार पर काफी खर्च होने पर 40,000 रुपये तक की वास्तविक व्यय की विशेष कटौती और यदि ऐसा आश्रित विरष्ठ नागरिक है, यानी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का है, तो 1,00,000 रुपये की कटौती। हालांकि, यह चिकित्सा बीमा के

माध्यम से प्राप्त किसी भी राशि की कटौती के अधीन होगा।
Medical Treatment (Sec 80 DDB): -

Special deduction of actual expenditure limited to Rs.40,000 to the patient or a dependent suffering from cancer or AIDs involving considerable expenditure on treatment and Rs.1,00,000/- if such dependent is a senior citizen, i.e., who is the age of 60 years or more. This will however be subject to deduction of any amount received through medical insurance if any.

11.शिक्षा ऋण (धारा 80ई): -

यदि करदाता ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए किसी वितीय संस्थान या धर्मार्थ संस्थान से ऋण लिया है, तो वर्ष के दौरान भुगतान किए गए ब्याज की राशि को कर योग्य आय से तब तक घटाया जा सकता है जब तक कि ब्याज सहित ऋण का भुगतान नहीं हो जाता या आठ वर्ष की अविध के लिए, जो भी पहले हो।

Education Loan (Sec 80E): -

If an assessee has taken any loan from any financial institution or charitable institution for purpose of his higher education, the amount of interest paid during the year can be deducted from the taxable income till the loan including interest is cleared or for a period of eight years, whichever is earlier.

12.धारा 80-यू:

दिव्यांगता वाले करदाता के मामले में 75,000/- रुपए तथा गंभीर दिव्यांगता वाले करदाता के मामले में 1,25,000/- रुपए।

Section 80-U:

Rs. 75,000/- in the case of assesses who is a person with disability and Rs.1,25,000/- if he is a person with severe disability.

धारा 24(बी)

आप होम लोन के ब्याज भुगतान पर 2 लाख रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है तो पूरी ब्याज राशि पर कर कटौती का दावा किया जा सकता है।

Section 24(B)

You can claim up to Rs.2 lakhs as tax deduction on the home loan interest payment. If your property is a let out one then the entire interest amount can be claimed as tax deduction.

दान

धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान दो श्रेणियों में आते हैं, (ए) वे जिन्हें संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है और (बी) वे जिनके लिए करदाता केवल संबंधित आईटीओ से अपने वार्षिक आयकर रिटर्न के माध्यम से रीफंड प्राप्त कर सकते हैं।

कुछ दान के संबंध में, यानी क्रम संख्या 1 से 4 तक कुल दान का पचास प्रतिशत कर योग्य आय से काटा जाएगा, और 5 से 23 तक दान की पूरी राशि कर योग्य आय से काटी जाएगी।

धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए दान दो श्रेणियों में आते हैं, (ए) जिन्हें संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है और (बी) जिनके लिए करदाता केवल संबंधित आईटीओ से अपने वार्षिक आयकर रिटर्न के माध्यम से वापसी प्राप्त कर सकते हैं।

वह दान जिसे संवितरण अधिकारी द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है।

- 1)प्रधान मंत्री सूखा राहत कोष- कटौती किए जाने वाले कुल दान का 50%।
- 2) राष्ट्रीय रक्षा कोष
- 3) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या पीएम केयर्स फंड
- 4) जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड[50%]
- 5) इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट[50%]
- 6) राजीव गांधी फाउंडेशन[50%]
- 7) प्रधानमंत्री आर्मेनिया भूकंप राहत कोष
- 8) अफ्रीका (सार्वजनिक योगदान-भारत) कोष
- 9) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन
- 10) कोई विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय स्तर का कोई शैक्षणिक संस्थान जिसे निर्धारित प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी गई हो।
- 11) राष्ट्रीय रक्त आधान परिषद या कोई राज्य रक्त आधान परिषद, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत में रक्त बैंकों के संचालन और आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं के नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन के लिए हो।
- 12)सेना केंद्रीय कल्याण कोष या भारतीय नौसेना हितकारी निधि या संघ के सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित वायु सेना केंद्रीय कल्याण कोष।

- 13) आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चक्रवात राहत कोष।
- 14) राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष।
- 15) किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में मुख्यमंत्री राहत कोष या उपराज्यपाल राहत कोष, जैसा भी मामला हो।
- 16) राष्ट्रीय खेल कोष।
- 17) राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष।
- 18) प्रौद्योगिकी विकास और अनुप्रयोग के लिए कोष।
- 19) ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट।
- 20) राष्ट्रीय बाल कोष
- 21) स्वच्छ भारत कोष
- 22) स्वच्छ गंगा कोष
- 23) नशीली दवाओं के द्रपयोग पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष

[धारा 80-जी के तहत अनुमोदित संस्थानों/धर्मार्थ ट्रस्टों को किसी भी अन्य दान के संबंध में, कर्मचारियों को आईटीओ से वापसी का दावा करना होगा]

कर योग्य आय की गणना अनुमेय सीमा तक कटौती की अनुमित देकर की जाती है और इसे दस रुपये के गुणक में पूर्णांकित किया जाता है, पाँच रुपये और उससे अधिक को अगले उच्चतर दस रुपये में पूर्णांकित किया जाता है। [धारा 288-ए]

कुल कर योग्य आय पर, चालू वर्ष के टैरिफ के आधार पर आयकर की गणना की जाती है और उसे निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाता है। [धारा 288-बी]

Donations

Donations for charitable purposes fall under two categories, (a) those which can be taken into account by the Disbursing Officer and (b) those for which assesses can get refund only through their Annual Income Tax Return from the ITO concerned.

In respect of some donations, i.e. from Sl. No. 1 to 4 **fifty per cent** of the total donation to be deducted from the taxable income, and from 5 to 23 **whole amount** of donation to be deducted from the taxable income.

Donations which can be taken into account by the Disbursing Officer.

- 1) Prime Minister's Drought Relief fund- 50% of the total donation to be deducted.
- 2) National Defense Fund

- 3) Prime Minister's National Relief Fund or PM Cares Fund
- 4) Jawaharlal Nehru Memorial Fund[50%]
- 5) Indira Gandhi Memorial Trust[50%]
- 6) Rajiv Gandhi Foundation[50%]
- 7) Prime Minister's Armenia Earthquake Relief Fund
- 8) Africa (Public Contribution-India) Fund
- 9) National Foundation for Communal Harmony
- 10) A University or any Educational Institution of National eminence approved by the prescribed authority.
- 11) National Blood Transfusion Council or any State Blood Transfusion Council, having its sole object to the control, supervision, regulation or encouragement in India of the services related to operation and requirements of blood banks.
- 12) Army Central Welfare Fund or Indian Naval Benevolent Fund or Air Force Central Welfare Fund established by the Armed Forces of the Union.
- 13) The Andhra Pradesh Chief Minister's Cyclone Relief Fund.
- 14) The National Illness Assistance Fund.
- 15) The Chief Minister's Relief Fund or the Lieutenant Governor's ReliefFund in respect of any State or Union Territory, as the case may be.
- 16) National Sports Fund.
- 17) National Cultural Fund.
- 18) Fund for Technology Development and Application.
- 19) The National Trust for welfare of persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities.
- 20) National Children's Fund
- 21) Swachh Bharat Kosh
- 22) Clean Ganga Fund
- 23) National Fund for Control of Drug Abuse

[In respect of any other donations to approved institutions/charitable trusts under Section 80-G, the employees have to claim refund from the ITO]

Taxable income is arrived at by allowing deductions to the permissible extent and is rounded off to the multiple of ten rupees, rupees five and above being rounded off to the next higher ten rupees. [Section 288-A]

On the total taxable income arrived at, the income tax is worked out on the basis of the tariff for current year and rounded off to the nearest rupee. [Section 288-B]

आयकर दरें (व्यक्तियों के लिए)प्रानी व्यवस्था के तहत

INCOME TAX RATES {For individuals}UNDER OLD REGIME

| आय स्लैब/Income Slab | पुरानी व्यवस्था के तहत आयकर की दर Rate of Income Tax under Old Regime |
|---|---|
| 2,50,000/- रुपये तक Upto Rs.2,50,000/- | शून्य/Nil |
| 2,50,001-5,00,000/- रुपये 2,50,001-5,00,000/- | 2,50,000/-रुपये से अधिक कुल का 5% 5% of the total exceeding Rs.2,50,000/- |
| 5,00,001-10,00,000/-रुपये_ 5,00,001-10,00,000/- | 5,00,000/ से अधिक कुल आय का 20% 20% of the total income exceeding Rs.5,00,000/- |
| 10,00,001-15,00,000/-रुपये 10,00,001-15,00,000/- | 10,00,000/-से अधिक कुल आय का 30% 30% of the total income exceeding Rs.10,00,000/- |
| 15,00,001- और उससे अधिक रुप 15,00,001- and above | ये 10,00,000/- से अधिक कुल आय का 30% 30% of the total income exceeding Rs.10,00,000/- |

*आयकर में छूट:- व्यक्तियों के संबंध में कर के लिए 12500/- रुपये तक की छूट 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले। [धारा 87ए]

*Rebate of Income Tax:- Relief upto Rs.12500/- towards tax in respect of individuals having Annual income upto Rs.5 lakhs.[Section 87A] स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर: सभी मामलों में कुल कर पर 4% का भुगतान किया जाना है। Health & Education Cess: 4% on the total Tax is to be paid in all cases.

नई व्यवस्था के तहत आयकर दरें (व्यक्तियों के लिए)

Income Tax Rates{For individuals} under new Regime

| आय स्लैब Income Slab | नई ट्यवस्था के तहत आयकर की दर |
|----------------------------|---|
| | Rate of Income tax under New Regime |
| 3,00,000/- रुपये तक | O (N'') |
| Upto Rs.3,00,000/- | शून्य/Nil |
| 3,00,001-7,00,000/- रुपये | *3,00,000/- रुपये से अधिक कुल का 5% |
| 3,00,001-7,00,000/- | *5% of the total exceeding Rs.3,00,000/- |
| 7.00.001.10.00.000/ | 7,00,000/- रुपये से अधिक कुल का 10% |
| 7,00,001-10,00,000/-रुपये | 10% of the total exceeding Rs.7,00,000/- |
| 7,00,001-10,00,000/- | |
| 10,00,001-12,00,000/-रुपये | 10,00,000/- रुपये से अधिक कुल का 15% |
| | 15% of the total exceeding Rs 10,00,000/- |

| 10,00,001-12,00,000/- | |
|---|--|
| 12,00,001-15,00,000/-रुपये 12,00,001-15,00,000/- | 12,00,000/-रुपये से अधिक कुल आय का 20% |
| | 20% of the total income exceeding Rs.12,00,000/- |
| 15,00,001/- रुपये से अधिक Above Rs.15,00,001/- | 15,00,000/- रुपये से अधिक कुल आय का 30% of the total income exceeding Rs.15,00,000/- |

* धारा 87ए के तहत कुल आय पर आयकर की राशि से अधिकतम 25000/- रुपये तक की छूट उपलब्ध है, यदि धारा 115बीएसी(1ए) के तहत कर योग्य करदाता की कुल आय 7,00,000/- रुपये तक है। इसके अतिरिक्त, यदि कर योग्य कुल आय 7,00,000/- रुपये से अधिक है और ऐसी आय पर देय कर कुल आय और 7,00,000/- रुपये के बीच के अंतर से अधिक है, तो करदाता ऐसी कुल आय पर देय कर और 7,00,000/- रुपये से अधिक राशि के बीच के अंतर की सीमा तक सीमांत राहत के साथ छूट का दावा कर सकता है।

*A maximum rebate of up to Rs.25000/- available under Section 87A from the amount of income tax on total income, if the total income of assesse chargeable to tax under section 115BAC(1A) is up to Rs.7,00,000/-. Furthermore, if the total income chargeable to tax exceeds Rs.7,00,000/- and the tax payable on such income exceeds the difference between the total income and Rs.7,00,000/-, the assesse can claim a rebate with marginal relief to the extent of the difference between the tax payable on such total income and the amount by which it exceeds Rs.7,00,000/-.

स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर: सभी मामलों में कुल कर पर 4% का भुगतान किया जाना है।

Health and Education Cess: 4% on the total tax is to be paid in all cases. नोट Note:

आयकर विवरण www.pfms.nic.in वेबसाइट के माध्यम से व्यक्तिगत अधिकारियों को प्रदान की गई उपयोगकर्ता आईडी का उपयोग करके तैयार किया जाना चाहिए और ईआईएस (कर्मचारी सूचना प्रणाली) में किया जाना चाहिए और इसे ऑनलाइन और हार्ड कॉपी के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी (लेखा) को प्रस्तुत किया जा सकता है। विवरण की हार्ड कॉपी जमा करते समय, पुरानी व्यवस्था को चुनने वाले अधिकारियों को सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे, जिसके लिए आयकर विवरण में कटौती का दावा किया जाता है। यदि कोई कर्मचारी पैन प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो धारा 206AA के तहत निर्दिष्ट उच्च दर्रो पर कर काटा जाएगा।

The Income Tax statement should be prepared through the website www.pfms.nic.in using the user id provided to individual officers and to be done in EIS (Employee Information System) and may be submitted to the Administrative Officer (Accts) through Online as well as Hard Copy. While submitting the hard copy of the statement, officers who are opting for OLD REGIME have to submit supporting documents for which deductions are claimed in the Income Tax Statement. If an employee fails to furnish PAN, the tax at higher rates as specified under Sec 206AA will be deducted.

सभी से अनुरोध है कि वे वार्षिक आयकर विवरण (दो प्रतियों में) सहायक दस्तावेजों के साथ दिनांक 30.11.2024 तक या उससे पहले अवश्य जमा करें।

ALL ARE REQUESTED TO SUBMIT THE ANNUAL INCOME TAX STATEMENT (INDUPLICATE) WITH SUPPORTING DOCUMENTS ON OR BEFORE 30.11.2024, WITHOUT FAIL.

(रानी सी आर /Rani C.R) अपर आयुक्त [का. व सत.]/ ADDITIONAL COMMISSIONER(P&V)

सेवा में /To

मुख्यालय के सभी अनुभाग प्रमुख /All Section Heads in Hqrs Office
 [मानक सूची के अन्सार /As per standard list].

प्रति प्रस्तुत है / Copy Submitted to:

- सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोचिन /
 The Commissioner of CGST and Central Excise, Cochin.
- 2. अपर आयुक्त (का व सत)/ संयुक्त आयुक्त (तक), सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय, कोचिन
 The Additional Commissioner (P&V)/ Joint Commissioner (Tech.), CGST and Central Excise, Headquarter, Cochin.
- 3. सीजीएसटी मंडल कार्यालयों/ कोचिन आयुक्तालय के मुख्यालय के सभी उप /सहायक आयुक्त /All the Deputy/Assistant Commissioners of CGST Divisional Offices/Headquarters under Cochin Commissionerate.

प्रति /Copy to:

- 1. सूचना पट्ट/ Notice Board
- 2. विभागीय वेबसाइट /Department website